उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या- 29/2022/745/सत्रह-म-2022-17-1002(099)/3/2021
लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 2022

# शुद्धि-पत्र

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अप्रयुक्त/अवशेष कुल केन्द्रांश रू0 2535.7521 लाख( रू0 2441.4096 लाख+रू0 94.3425 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित करने के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या-26/ 2022/ 706 / सत्रह-म-2022-17-1002(099)/ 3/ 2021 दिनांक 14.07.2022 के प्रस्तर- 4 में त्रुटिवश खाता संख्या- 98160100007334 (आई0एफ0एस0सी0 कोड- BARBOEXTLUC) टंकित हो गया है।

2- उक्त के स्थान पर **खाता संख्या- 98160100007290 (आई0एफ0एस0सी0 कोड- BARB0EXTLUC)** पढा जाय। (आई0एफ0एस0सी0 कोड में पूर्व त्रुटिपूर्ण अंकित O (ओ) के स्थान पर 0 (शून्य) पढा जाय)

3- शासनादेश संख्या-26/ 2022/706 /सत्रह-म-2022-17-1002(099)/3/2021 दिनांक 14.07.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय।

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

**संख्या- 29/ 2022/745/ सत्रह-म-2022 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।